न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—351/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/351)

1. हीरा पुत्र श्री ऊंकार जाति माली निवासी ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. जेठू पुत्र श्री सुवा
2. हरजी पुत्र श्री सुवा
3. अमराव पुत्र श्री हजारी
4. तेजू पुत्र श्री हजारी
5. गुलाबी पत्नी जवारा
6. चांद पुत्र श्री जवारा
7. जगदीश पुत्र श्री हजारी
8. जेठी पुत्री श्री सुगना
9. तीजी पुत्री श्री सुगना
10. धापू पुत्री श्री सुगना
11. भागचंद पुत्र श्री ज्वारा
12. मनफूल पुत्र श्री ज्वारा
13. संतोक पुत्री श्री हजारी
14. हस्तू पत्नी श्री हजारी
    समस्त जाति माली, निवासीगण ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
15. मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर जरिए शाखा प्रबंधक।
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.09.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद राजस्व वाद संख्या 92/2019

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 16
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 15 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—09.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 92/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2023 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 2 ने उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7, 11 व 14 ने जवाब दावा प्रस्तत कर वाद पत्र के कथनों से इंकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में दो तनकीयां कायम कर वाद पत्र दिनांक 27.09.2023 को डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 92/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलांट अभिभाषक की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 15 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती हेतु पक्षकारान से ज्यादा विधिक दायित्व भूमिधारक का था लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत करने बाबत् वाद पत्र में अंकन नहीं है जो वाद पत्र के निर्णय हेतु अत्यन्त आवश्यक था तथा बैंक को पक्षकार मुर्तिब कर रखा है लेकिन बैंक के नोटिस तामील हुए अथवा नहीं, बैंक की ओर से अधिवक्ता हाजिर हुए अथवा नहीं, जवाब दावा प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं बाबत् कोई अंकन नहीं है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों को नजर अन्दाज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 को अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से अपूर्ण निर्णय पारित किया जाना स्वयं सिद्ध होने से काबिल निरस्त योग्य है। वादीगण संलग्न राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार दर्ज नहीं हैं एवं उनके द्वारा खातेदारी उदघोषणा बाबत् कोई दादरसी भी नहीं मांगी गयी है तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में यह अंकित किया गया है कि "यह कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 14 की संयुक्त चाह (कुंआ) खातेदारी/काश्तकारी भूमि वाके मौजा ग्राम रामसर में अवस्थित है।" जबकि वादीगण खातेदार दर्ज नहीं हैं, इस प्रकार मिथ्या कथनों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं दादरसी के बिन्दु संख्या 9 अनुतोष में भी वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी होना अंकित किया है, जबकि खातेदार नहीं हैं जिससे मिथ्या तथ्यों पर आधारित वाद पत्र प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं था, क्योंकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण के पूर्वज सुवा पुत्र श्री देवा दर्ज हैं जिससे वाद पत्र प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं था। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। वादीगण उदघोषणा खातेदारी प्राप्त किए बिना वाद पत्र में स्वयं खातेदार होना मिथ्या रूप से अंकित करते हुए नक्शा दुरूस्ती के कतई अधिकारी नहीं थे, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को बिना दादरसी के सही रूप से खातेदार घोषित नहीं कर अवैधानिक रूप से नक्शा दुरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होकर निर्णय व डिक्री दिनांक 27.9.2023 काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 पर तनकी

संख्या 1 लगायत 2 के नीचे की पंक्ति में अंकितानुसार "अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 10 ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं कर सीधी बहस करना जाहिर किया।" जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 7, 11 व 14 के विरूद्ध पूर्व में ही एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी थी एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने का तात्पर्य है कि दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार कोई दस्तावेज भी प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जिससे प्रदर्शित दस्तावेजों के अभाव में किसी भी दस्तावेज को पढा नहीं जा सकता एंव उपरोक्त अंकित पंक्ति के अनुसार वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत भी नहीं की गई है एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा उन्हें प्रदर्शित किए बिना वाद पत्र सिद्धीकरण के अभाव में प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य था फिर भी बिना साक्ष्य के ही मात्र मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुए निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अपीलांट द्वारा दिनांक 17.11.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 द्वारा मौके पर आकर झगडा करने पर जानकारी होने पर नसीराबाद जाकर अभिभाषक से सम्पर्क किया जिन्होंने दिनांक 17.11.2023 को ही नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 21.11.2023 को नकलें प्राप्त हुई, उक्त नकल प्राप्ति में लगा समय समायोजित करने पर उक्त अपील अन्दर मियाद सेवा में प्रस्तुत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 92/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता वर्तमान प्रकरण में फोर्मल पक्षकार हैं, न्यायालय हाजा द्वारा किए गए निर्णय से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमनें अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 27.09.2023 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कथन किया गया कि वादीगण संलग्न राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान जमाबंदी में खातेदार दर्ज नहीं है तथा वादीगण उदघोषणा खातेदारी प्राप्त किए बिना वाद पत्र में स्वयं खातेदार होना मिथ्या रूप से अंकित करते हुए नक्शा दुरूस्ती के कतई अधिकारी नहीं है, तथा वादीगण वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात ग्राम रामसर में स्थित है जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 7209 रकबा 0–2–0 हाल खसरा नम्बर 4278 व खसरा नम्बर 7208 रकबा 0–12–10 हाल खसरा नम्बर 4279 राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 4278 में वादी/रेस्पोडेंट के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा अंकित है। वादी/रेस्पोडेंट सुवा पुत्र देवा के वारिस होने के कारण प्रकरण में उन्हें वाद प्रस्तुत किए जाने का हक अधिकार है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि जमाबंदी में चाह के रूप में अंकित खसरा नम्बर 4278 को खेत के रूप में अंकित कर

दिया है। जिसे राजस्व दस्तावेजों में सही किया जाना उचित है। खसरा नम्बर 4278 अपीलांट व रेस्पोडेंट की खातेदारी का है। हाल खसरा नम्बर 4278 रकबा 0.02 गै0मु0 चाह राजस्व अभिलेख में वादीगण/रेस्पोडेंट के पिता सुवा पुत्र देवा 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट हीरा पुत्र ऊंकार 1/4 हिस्सा व अन्य खातेदार के नाम दर्ज है।

खसरा नम्बर 4279 रकबा 0.11 राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 हीरा पुत्र उंकार के नाम खातेदारी में दर्ज है। मानचित्र में खसरा नम्बर 7209 गै0मु0 चाह अंकित है व उसके समीप ही खसरा नम्बर 7208 खेत के रूप में अंकित है। राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 4278 चाह को खेत के रूप में तथा खसरा नम्बर 4279 को चाह अंकित कर दिया गया जबकि मिलान क्षेत्रफल व साबिक राजस्व अभिलेख अनुसार खसरा नम्बर 4278 को मानचित्र में चाह अंकित करना चाहिए था। बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त इंद्राज को बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश के परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, परंतु उनके द्वारा इंद्राज किए जाने में त्रुटि कारित हुई है, जो कि राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी/रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व दस्तावेजों से अपने वाद को अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा के समक्ष बखूबी रूप से साबित किया है। अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को मौखिक व राजस्व दस्तावेजों के माध्यम से साबित कर पाने में विफल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में विधिसंगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 92/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर